आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.02.2024	**वाद संख्या–66 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सुप्रीति कुजूर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। इस वाद की कार्रवाई परिवादी श्रीमती सुप्रीति कुजूर के दिनांक–15.12.2023 को आयोग में प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में प्रारम्भ किया गया। द्वितीय पक्ष को परिवाद पत्र की प्रति भेजते हुए अपना पक्ष दिनांक–11.01.2024 को रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्धारित तिथि को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी भौतिक रूप से जबकि परिवादी telephonic conference के माध्यम से उपस्थित हुईं। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी द्वारा बताया गया कि उनके रिकॉर्ड में परिवादी के PMMVY से संबंधित दो इन्ट्री दर्ज है। इसपर परिवादी द्वारा बताया गया कि उनके बैंक एकाउन्ट में राशि क्रेडिट नहीं हुई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी द्वारा कहा गया कि परिवादी अपना पासबुक update कराकर, उसे लेकर कार्यालय आ जाएँ, तत्पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आयोग द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कथन से संतुष्ट होते हुए परिवादी का पासबुक लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के समक्ष जाने का निदेश दिया गया एवं अगली तिथि दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की गई। दिनांक–30.01.2024 को प्रथम पक्ष video conference के माध्यम से जबकि द्वितीय पक्ष की ओर से उनके प्रतिनिधि भौतिक रूप से उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि की ओर से कहा गया कि परिवादी के भुगतान से संबंधित जिला स्तर तक की सारी औपचारिकताएँ पूरी की जा चुकी हैं। भुगतान राज्य से होता है। जिसकी जानकारी जिला स्तर पर नहीं हो पाती है। उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक–11.01.2024 को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा PMMVY के भुगतान से संबंधित अपूर्ण जानकारी दिए जाने के कारण अनावश्यक विलम्ब हुआ। आयोग का उद्‌देश्य लाभुक को उनके अहर्त्ता के अनुरूप नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराना है। फलस्वरूप आयोग द्वारा परिवादी को उनके अहर्त्ता के अनुसार देय राशि का भुगतान कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक–12.02.2024 की तिथि निर्धारित की गई। दिनांक–12.02.2024 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। पूर्व के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का स्थानांतरण होने के पश्चात् नवपदस्थापित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा बताया गया कि भुगतान निदेशालय स्तर से किया जाता है एवं उनके द्वारा सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। 15 दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित कराने के निदेश के साथ वाद की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–28.02.2024 निर्धारित की गई। दिनांक–28.02.2024 की सुनवाई में प्रथम पक्ष video conference के माध्यम से उपस्थित हैं। जबकि द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। परिवादी प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि PMMVY के आवेदन के मामले में जांचोपरान्त सारी औपचारिक्ताएँ जिला स्तर से पूरी करने के पश्चात् भुगतान निदेशालय स्तर से किया जाता है। परंतु तत्कालीन जिला D:\Premlata\Court 1.docx12	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा दिनांक–11.01.2024 को वस्तु स्थिति की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दिए जाने के कारण आयोग अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका तथा परिवादी को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। आयोग का कार्य परिवादी को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराना है। निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश दिया जाता है कि वे एक पक्ष के अंदर PMMVY के देयता का भुगतान परिवादी को कर वस्तु स्थिति से अवगत कराएँ। आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को यह भी निदेश देता है कि निदेशालय स्तर से भुगतन किए गए सभी मामलों की सूचना संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया जाए ताकि लाभुकों के भुगतान संबंधी सभी सूचनाएँ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय एवं CDPO कार्यालय में उपलब्ध रहे। आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को यह भी निदेश देता है कि वे दिनांक–11.01.2024 को पदस्थापित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी के विरूद्ध आयोग को दिग्भ्रमित करने वाले कथन के विरूद्ध कार्रवाई करें। आदेश की प्रति निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही परिवादी के परिवाद पत्र एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन भी निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को भेजें। दिनांक– 28.03.2024 को अभिलेख उपस्थापित करें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx13	